


कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-138/1/सा.प्र.वि./18

भिलाई, दिनांक.....


// आदेश //

श्री अरुण कुमार शर्मा पिता श्री रामचन्द्र प्रसाद शर्मा, पम्प ऑपरेटर की अधिवाषिकी आयु दिनांक 11.02.2018 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 28.02.2018 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई
भिलाई, दिनांक 02/02/18

पृ.क्र./एफ-138/1/सा.प्र.वि./18 / 230 /
प्रतिलिपि :-

1. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 03 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. भविष्य निधि लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
9. श्री अरुण कुमार शर्मा पिता श्री रामचन्द्र प्रसाद शर्मा, पम्प ऑपरेटर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई